

राजस्थान सरकार

स्वायत्तं शासन विभाग राज. जयपुर

जी-३ राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक गो-स्कीम, जयपुर।

टेलीफँस : - ०१४१-२२२२४०३, ई-मेल - dllrajasthan@gmail.com वेब साईट - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : - एफ ५५()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा /१८/३८६५६-८४७ दिनांक : १८/५/२०१८
आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:- सार्वजनिक शौचालय एवं शमशान/कब्रिस्तान के विकास कार्यों का
शिलान्यास करने बाबत।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा RUIRP-II में नगरीय निकायों क्षेत्रों में अम्बेडकर भवनों के निर्माण, शमशानों एवं कब्रिस्तानों के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं सड़कों-नालियों की Maintenance एवं Renewal आदि कार्य करवाये जाने की घोषणा की गई है।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों की विभाग द्वारा निर्धारित टाईम लाईन के अनुसार नगर निकाय स्तर पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये कार्यादेश जारी करने हेतु आपको विस्तृत दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं।

वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा RUIRP-II में सार्वजनिक शौचालय एवं शमशान/कब्रिस्तान के विकास आदि के कार्यों का शिलान्यास नगरीय निकाय स्तर पर अपने स्थानीय जन प्रतिनिधियों (माननीय सांसद/विधायक/महापौर/सभापति/अध्यक्ष आदि) की सुविधा से जन प्रतिनिधियों (दिनांक 21 से 26 मई, 2018) में किसी भी दिन कराकर कार्य प्रारम्भ करावे। आगामी सप्ताह (दिनांक 21 से 26 मई, 2018) में किसी भी दिन कराकर कार्यालय के माध्यम से विभाग के जिसकी सूचना मय फोटोग्राफ के साथ उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय के माध्यम से विभाग के इमेल आई.डी budget2018dlb@gmail.com एवं गूगल ड्राइव पर Share किये गये फोल्डर Budget 2018-19 RUIRP-II में अपलोड करते हुए भिजवाना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
क्रमांक : एफ ५५()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा /१८/३८८५८-३९३२ दिनांक : १८/५/२०१८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्तं शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्तं शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्तं शासन विभाग, राज. जयपुर।
- जिला कलेक्टर्स, समस्त राजस्थान।
- महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
- उप निदेशक, (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित नगरीय निकाय से सूचना संकलित कर निदेशाल को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रोग्राम, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
- सुरक्षित पत्रावली।

(निदेशक एवं संयुक्त सचिव)